न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15/2019 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00057

उनवान

1. रामादेवी पुत्री नेकसा उर्फ नेकराम पत्नी रोशन सिंह आयु करीब 60 वर्ष कौम राजपूत निवासी गढी करीलपुर हाल करीलकी वार्ड नं 01 राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुन्नालाल पुत्र नेकसा उर्फ नेकराम } जाति राजपूत निवासी गढी करीलपुर हाल आबाद डी–1047
2. नाहर सिंह पुत्र नेकसा उर्फ नेकराम } गली नं0 23 भजनपुरा नई दिल्ली 53
3. कुंवरसैन उर्फ राजेन्द्र पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गढी करीलपुर हाल आबाद डी–1020 गली नं0 23 भजनपुरा नई दिल्ली 53
4. श्रीमती ऊषा पुत्री इन्द्र सिंह पत्नी भाव सिंह जाति राजपूत निवासी गढी करीलपुर हाल आबाद डी–1047 गली नं0 23 भजनपुरा नई दिल्ली 53
5. शिवधारा पुत्री इन्द्र सिंह } जाति राजपूत निवासी गढी करीलपुर हाल आबाद डी–1047 गली नं0 23
6. सरोज पत्नी इन्द्र सिंह } भजनपुरा नई दिल्ली 53
7. पुष्पी पुत्री इन्द्र सिंह
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 08.04.19 मि.नं. 28/12 उनवानी मुन्नालाल बनाम इंद्र सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री अशोक कुमार सक्सैना वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री निशान्त भार्गव वकील रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक–07.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी की पैतृक सम्पत्ति है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार नेकसा उर्फ नेकराम थे। जिनकी मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण पर प्रकान्त हुयी। विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 को अपने प्रभाव व दवबा में कर रखा है एवं तन्हा समस्त विवादित आराजी पर कब्जा कर विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमदा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने धमकी देते हुये कहा कि तुम्हारा विवादित आराजी में कुछ नहीं है। हमने पटवारी से साज कर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया है तथा एक खेत विक्रय भी कर चुके हैं। तत्पश्चात् वादी ने राजस्व अभिलेख की जॉच की तो उन्हें गलत व फर्जी इंद्राजात की जानकारी हुयी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, बॅटवारा काश्त एवं दुरूस्ती इंद्राज मय स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिसमें अपीलाण्ट को वादी रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया तत्पश्चात् अपीलाण्ट को ज्ञात होने पर अपीलाण्ट प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बने। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2019 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नेकसा था। दावे में नेकसा की वंशवृक्ष में अपीलाण्ट का नाम नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा ही बनाया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 से पक्षकार मुकदमा बने। पुष्पादेवी की जिरह में रामा देवी नेकसा की पुत्री होना स्वीकार किया है। अतः विवादित आराजी में इंद्र सिंह के साथ 1/2 भाग की खातेदार घोषित किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपील मीमो की मद संख्या 12 के अनुसार डिक्री नहीं बनाई। अतः निर्णय के आपरेटिंग पार्ट को ही डिक्री माना जावेगा। दिनांक 10.02.1992 के दावे में रामादेवी को पक्षकार ही नहीं बनाया। अतः रामा देवी पर उक्त निर्णय लागू नहीं होता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट को विवादित आराजी में इंद्र सिंह के साथ 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। यह है प्रकरण में जहॉ काउण्टर क्लेम खारिज हुआ है तथा अन्य का काउण्टर क्लेम स्वीकार हुआ है। वहॉ उक्त आदेश की पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत होंगी। परन्तु अपीलाण्ट ने एक ही अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है। इसके अलावा अपील के साथ अपीलाण्ट ने डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जो किया जाना आवश्यक है। एक अन्य दावा बाबूलाल बनाम इंद्र सिंह चला। जिसमें विवादित आराजी का बॅटवारा दिनांक 10.02.1992 को हो चुका है। उक्त डिक्री की अपील, अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गयी है। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 06 में विस्तृत विवेचना की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2012–15, संवत 2017–20 बंदोबस्ती जमाबन्दी संवत 2028 प्रदर्श–8 में विवादित आराजी नेकसा के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। इस प्रकार विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी की पैतृक सम्पत्ति साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक अन्य वाद संख्या 58/2002 मुन्नालाल बनाम इन्द्र सिंह में निर्णय दिनांक 09.09.2004 से विवादित आराजी में क्रमशः मुन्नालाल, नाहर सिंह, कुॅवरसेन उर्फ राजेन्द्र पुत्र इंद्र सिंह पुत्र नेकसा प्रत्येक को 1/4–1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील इन्द्र सिंह पुत्र नेकसा द्वारा वउनवानी इन्द्र सिंह बनाम मुन्नालाल अपील संख्या 199/2004 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 17.05.2005 से निरस्त हुयी। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध इन्द्र सिंह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 17.01. 2012 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.05.2005 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2004 को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी कि प्रकरण में इंद्र सिंह के पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये पुनः विधिसम्मत गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में इंद्र सिंह की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट रामादेवी ~~देवी~~ द्वारा प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन किया एवं पक्षकार मुकदमा बनी। तत्पश्चात् रामादेवी अपीलाण्ट ने प्रकरण में जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नेकसा की सम्पत्ति में निस्फ भाग की सहखातेदार एवं हिस्सेदार है। अतः उसे विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तत्पश्चात् प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गयी। जिसमें तनकी संख्या 03 प्रतिवादी अपीलाण्ट के क्लेम को

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साबित करने के लिये महत्वपूर्ण तनकी है। उक्त तनकी की विवेचना से अपीलाण्ट रामा देवी को नेकसा की पुत्री होना एवं इंद्र सिंह की बहन होना तो प्रमाणित है। परन्तु विवादित आराजी इंद्र सिंह को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.02.1992 वउनवानी बाबूलाल बनाम इंद्र सिंह से इंद्र सिंह को खातेदारी में प्राप्त हुयी है। यदि अपीलाण्ट को विवादित आराजी में हिस्सा चाहिये था तो उन्हें उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। इसके अलावा अपीलाण्ट नेकसा की पुत्री अर्थात नेकसा के तीनो पुत्र यथा इंद्र सिंह, जसवंत सिंह, बाबूलाल की बहन है। यदि उन्हें विवादित आराजी में हिस्सा चाहिये तो उन्हें नेकसा के तीनों पुत्रो के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करानी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई चाराजोही नहीं की गयी। विवादित आराजी इंद्र सिंह को डिक्री दिनांक 10.02.1992 से खातेदारी में प्राप्त हुयी है। उक्त निर्णय के प्रभाव में रहते अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं बनता है। अपीलाण्ट यदि चाहें तो नेकसा के समस्त वारिसो को पक्षकार मुकदमा बनातें हुये, नेकसा की सम्पत्ति में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने हेतु पृथक से दावा करने को स्वतंत्र हैं। परन्तु हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलाण्ट न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करते हुये, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। चूंकि तनकी संख्या 03 ही अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम से संबंधित एवं उनके काउण्टर क्लेम को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण तनकी है एवं शेष तनकियॉ अपीलाण्ट के जिम्मे ना होकर रैस्पो0 के जिम्मे हैं। अतः उनकी विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2019 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर